प्रेषक,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय व्ययक) अनुभाग -1 लखनऊ : दिनांक : 14 अक्टूबर, 2025

विषय : केंद्र प्रायोजित योजनाओं का SNA SPARSH प्रणाली के माध्यम से क्रियान्वयन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 1/2025 /बी-1-156/दस-2024-2025 दिनांक 21-01-2025, 3/2025/बी-1-201/दस-2025 दिनांक 30-01-2025, 8/2025/बी-1-640/दस-2025 दिनांक 10-07-2025, 9/2025/बी-1-672/दस-2025 दिनांक 23-07-2025, 11/2025/बी-1-1061/दस-2025 दिनांक 26-09-2025 तथा 12/2025/बी-1-1063/दस-2025 दिनांक 26-09-2025 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- आप अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए फण्ड-फ्लो हेतु "Just-in -Time" एप्रोच पर आधारित पूर्णतया डिजिटल प्रणाली - SNA SPARSH लागू की गयी है। सम्प्रति 66 केंद्र प्रायोजित योजनाओं को इस प्रणाली पर ऑनबोर्ड किये जाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित किया गया है तथा यह स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 01 नवम्बर, 2025 से शत प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजनाओं को SNA SPARSH पर ऑनबोर्ड किया जाना है । इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समस्त संबंधित प्रशासकीय विभागों के साथ कई बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं तथा प्रकरण की गंभीरता से विभागों को अवगत कराया जा चुका है।

3- उक्त 66 केंद्र प्रायोजित योजनाओं अंतर्गत 135 स्टेट लिंक्ड स्कीम्स हैं जिनमे से 132 स्टेट लिंक्ड स्कीम्स के ड्राइंग एकाउंट्स भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर में खुलवाए जा चुके हैं। **प्रशासकीय विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित मंत्रालयों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्त समस्त योजनाओं के लिए mother sanctions निर्गत कराएं तथा जिन योजनाओं के लिए mother sanctions प्राप्त हो चुकी हैं उनके अंतर्गत भुगतान की कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित कराएं। कृपया ध्यान दें कि दिनांक 31 अक्टूबर , 2025 के उपरांत केंद्र सरकार द्वारा केन्द्रांश की राशि SNA SPARSH के माध्यम से ही अवमुक्त की जाएगी। यदि विभागों द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही नहीं की जाती है तो केंद्र सरकार द्वारा केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त नहीं की जाएगी जिसका प्रतिकूल प्रभाव योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ेगा जिसका उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग का होगा।**

4- **SNA SPARSH फण्ड-फ्लो के "Just -in-Time" एप्रोच पर आधारित है तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार इस प्रणाली के तहत समस्त भुगतान बेनेफिशियरी को सीधे किये जाने हैं एवं किसी भी स्तर पर बैंक खाते अथवा लोक लेखे में खुले वैयक्तिक खाते में धनराशि जमा नहीं की जाएगी। इस व्यवस्था के तहत अग्रिम भुगतान नहीं किया जा रहा था। अब वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25 सितम्बर,2025 द्वारा निर्गत FAQ में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि SNA SPARSH प्रणाली में अग्रिम भुगतान किये जा सकते हैं।** केंद्र सरकार द्वारा निर्गत FAQ के सुसंगत अंश निम्नवत हैं -

Can States issue advances under CSS schemes?	Yes. States may issue advances under CSS schemes, and the corresponding claim files must be generated in the State IFMIS and pushed to PFMS following the existing protocol.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

How should the central share be recorded when an advance is issued?	The released central share must be booked as an advance in the State IFMIS.
Is the Central Ministry responsiblefor monitoring the purpose of the bill?	No. The Central Ministry/Department releases funds based on the sharing pattern and thebills submitted by the State. It is not responsible for monitoring the purpose or utilization of the bill.
Who is responsible for maintainingand handling advances?	Statesmustensuredistinctsystemflagsin their IFMIS for advances and settlement.
What happens if thefinal bill amountexceeds the advance paid?	If the final bill amount is greater than the advance paid, the State will push a fresh claim file for the difference amount and push it toPFMSforreleaseoftheCentralshareagainst the difference to be paid.
What if the final bill amount is less than the advance paid?	If the final bill amount is lesser than the advancepaid,theexcesscentralshareisto be returned to the concerned Central Ministry/ Department through Bharatkosh.
Payments to the Public WorksDepartment (PWD) and advance release of rolling funds under the SNA-SPARSH system – PM-USHA scheme	Recommendation A: i) As the construction or renovation works are executed through the concerned University/College as an implementing agency. Theconcerned universities/colleges(implementing agencies) may register the PWD office or its contractor as a vendor within the State IFMIS ecosystem. ii) Payments to contractors may be made directly through SNA SPARSH by IAs based on work completion certificates and approved estimates. iii) A separate payee category may be created under the State IFMIS system to accommodate PWD-related payments. iv) The implementing agencies must ensure proper documentation, including utilization certificates and work orders. v) A detailed SOP regarding vendor registration and payments through PWD may be issued by the State Treasury separately.

5- **वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्पष्ट की गयी उपरोक्त स्थिति के अनुसार SNA SPARSH के माध्यम से अग्रिम भुगतान की व्यवस्था किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है जो एक समय साध्य कार्य है। अतः, कार्य हित में सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब तक सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन नहीं हो जाते तब तक निम्नानुसार कार्यवाही की जाए:-**

(1) जैसा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 11/2025/बी-1-1061/दस-2025 दिनांक 26-09-2025 में प्रावधानित है, SNA SPARSH प्रणाली के अंतर्गत इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज द्वारा संबंधी बेनेफिशियरीज को भुगतान हेतु बिल जेनेरेट किये जाते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

(2) SNA SPARSH प्रणाली के अंतर्गत भुगतान सीधे वेंडर्स / बेनिफिशियरी को किया जाता है, परन्तु निर्माण सम्बन्धी कार्यों जो निर्माण एजेंसियों के माध्यम से कराये जाते हैं, उनमें निर्माण एजेंसियों द्वारा अग्रिम भुगतान की मांग की जाती है। ऐसी केंद्र प्रायोजित योजनाएं जिनके अंतर्गत निर्माण कार्य निर्माण एजेंसी के माध्यम से कराये जाने हैं, उनमें निर्माण एजेंसियों को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अग्रिम भुगतानकी अनुमति होगी।

(3) SNA SPARSH प्रणाली के अंतर्गत निर्माण कार्यों हेतु निर्माण एजेंसी को अग्रिम भुगतान किये जाने हेतु इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी द्वारा संबंधित निर्माण एजेंसी को बेनीफिशियरी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। वेंडर्स / ठेकेदारों को देय भुगतान पर वैधानिक कटौतियां किये जाने का उत्तरदायित्व निर्माण एजेंसी का होगा। सम्बंधित इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी द्वारा निर्माण एजेंसी से वैधानिक कटौतियां किये जाने के संबंध में प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा।

(4) इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी द्वारा निर्माण एजेंसी को अग्रिम के रूप में किस्तों की धनराशि वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27-03-2025 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अवमुक्त की जाएगी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी द्वारा योजना/परियोजनावार अग्रिम भुगतानों का विवरण एक रजिस्टर में अनुरक्षित किया जायेगा।

(5) सम्बंधित योजना के SNA अपने अधीन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु निर्देश निर्गत करेंगे तथा किस्तों के रूप में अवमुक्त धनराशि तथा कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता का अनुश्रवण करेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव वित्त
एवं वित्त आयुक्त।

पत्र सं0-14/2025/बी-1-1100(1)/दस-2025, तद्दिनाँक :-

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. समस्त विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।